

पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उधम)

पूर्वी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-1, मुख्यालय,
बिहार राज्य ईलेक्ट्रीसीटी बोर्ड कोलोनी,
टी. आर. डब्लू सेंटर के नजदीक, पोस्ट+थाना-शास्त्रीनगर

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, पटना-८०००२३

स्पीड-पोस्ट

दिनांक: 11.02.2021

संदर्भ: PG/ER-I/RHQ/RTI-262/2020-21/

1578

सेवा में,

श्री मनीष,

गईनी,

ईमेल-manish.gh1997@gmail.com

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में।

महाशय,

आपके द्वारा Ref.No.RTI/2020-21/20089 & RTI MIS Ref.No.PGCIL/ R/E /21/ 00068 दिनांक-07.02.2021 को आर.टी.आई. अधिनियम-2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त हेतु आवेदन दिया गया था। जिसकी मूल प्रति दिनांक-08.02.2021 को पावरग्रिड, पू.क्षे.1, आर.टी.आई.विभाग, पटना को ईमेल द्वारा प्राप्त हुआ था। आपके आवेदन को सम्बंधित पावरग्रिड, पू.क्षे.1, आई.टी. विभाग, पटना को सूचना/उत्तर प्राप्त हेतु अग्रसारित किया गया था। सम्बंधित कार्यालय पावरग्रिड, पू.क्षे.1, आई.टी. विभाग, पटना के द्वारा निम्नलिखित सूचना/उत्तर **अनुलग्नक-"क" (पेज-1/1)** के रूप में प्राप्त हुआ है। जिसे इस पत्र के साथ **अनुलग्नक-"क" (पेज-1/1)** के रूप में संलग्न कर आपको अग्रसारित किया जा रहा है।

प्रथम अपीलीय प्राधिकार का पता:

श्री ए.के.मैती, कार्यपालक निदेशक,

सह अपीलीय प्रथम प्राधिकारी,

पावरग्रिड, मुख्यालय, पूर्वी क्षेत्र-1,


बिहार राज्य ईलेक्ट्रीसीटी बोर्ड कोलोनी,

टी.आर.डब्लू भवन के नजदीक, पोस्ट&थाना-शास्त्रीनगर,

पटना-800023.

सधन्यवाद।

भवदीय.


11/2/2021
(एम.के.अग्रवाल)

उप-महाप्रबंधक (वाणिज्य) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

संलग्न: **अनुलग्नक-"क" (पेज-1/1):**

विषय/Sub : सूचना के अधिकार अधिनियम -2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में।

यह श्री मनीष, ग्रहनी, ईमेल- manish.gh1997@gmail.com के द्वारा Ref. No. RTI/2020-21/20089 & RTI MIS Ref. No. PGCIL/R/E/21/00068 दिनांक- 07.02.2021 को आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त हेतु आवेदन और पॉवरग्रिड पू. क्षे-1, आर. टी. आई. द्वारा उपरोक्त विषय के पत्रांक PG/ER-1/RHQ/RTI-262/2020-21/1518 दिनांक 08.02.2021 द्वारा मांगी गयी जानकारी के सन्दर्भ में है।

मांगी गयी जानकारी का जबाब क्रमानुसार निम्नलिखित है।

1. सबस्टेशन सिक्योरिटी का उत्तरदायित्व HR विभाग तथा CCTV कैमरा के रखरखाव का उत्तरदायित्व AM विभाग का है।
2. सबस्टेशन एवं कॉलोनी के INTERCOM का रखरखाव AM विभाग तथा साइट के मनोनीत आई.टी कोर्डिनेटर के द्वारा की जाती है।
3. कर्मचारी के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर की व्यवस्था साइट HR विभाग तथा साइट के मनोनीत आई.टी. कोर्डिनेटर के द्वारा की जाती है।
4. हार्डवेयर सम्बंधित रखरखाव साइट के मनोनीत आई.टी कोर्डिनेटर के द्वारा की जाती है।
5. सॉफ्टवेयर के विध्न निवारण साइट के मनोनीत आई.टी कोर्डिनेटर के द्वारा क्षेत्रीय मुख्यालय के आई.टी. विभाग के समन्वय से की जाती है।
6. कर्मचारी के डेस्कटॉप कंप्यूटर तथा प्रिंटर के रिकार्ड स्टोर कीपर तथा साइट के मनोनीत आई.टी कोर्डिनेटर के द्वारा की जाती है।

यह आपकी जानकारी और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

08/02/2021

(संजीव चंद्र सिंह)

मुख्य प्रबंधक (आई. टी.)